

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम्बर 14, 2025 Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2025

संख्या प.4(7)कृषि/गुप-2/2015 :-राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 क के तहत कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू के मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत चक 1 बीजेएम ग्राम बांगडसर तहसील बज्जू जिला बीकानेर (राजस्थान) में निजी उप मण्डी यार्ड की स्थापना हेतु मैसर्स जमींदारा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 1 बीजेएम, ग्राम बांगडसर तहसील बज्जू जिला बीकानेर (राजस्थान) को अनुज्ञापत्र संख्या DAM/Pvt-Sub Yard/Jamindara Market Yard/017 दिनांक 11.06.2025 जारी किया गया है।

राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार मैसर्स जमींदारा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 1 बीजेएम, ग्राम बांगडसर के नवनिर्मित निजी गौण मण्डी प्रांगण जमींदारा मार्केट यार्ड, बांगडसर तहसील, बज्जू को गौणमण्डी यार्ड घोषित करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगी:-

1. उत्तर में मुरब्बा संख्या 132/51 खातेदार पुरी देवी पत्नि उदाराम प्रजापत
2. दक्षिण में रावत आबादी से बांगडसर रोड
3. पूर्व में मुरब्बा संख्या 133/52 खातेदार संतनाम चहल
4. पश्चिम में 133/44 खातेदार किशन सिंह भाटी

तथा इन सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,

शासन उप सचिव।

13020

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।